

FORM No. III (प्रारूप संख्या-3)

जी.सी.एम.एस.नं.

2014/003/2

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत मुकाम

..... सुनी/ बनाम मालाराम

किस्म मुकदमा नम्बर वर्ष 2014

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	---

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक ने आज अदालती कार्य का स्थान पर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15/04/25 को पेश हो।

15/04/25

वकूलाप उपा. वकील शर्मा ने डा. पत्र पेश कर निवेदन किया कि सजावली सं. 3 का रिकॉर्ड हो गया जो अविवाहित था। अतः सजावली सं. 3 का नाम हजरत फ़ारुकी की रखा जाये। वकील शर्मा का डा. पत्र अदालत में स्वीकार किया जाकर सजावली सं. 3 का नाम कार्यवाही उल्लेख में लाल रखा है हजरत किया जाता है। वास्तव में वहस मिसल दिनांक 13/05/2025 को पेश हो।


पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक ने आज अदालती कार्य का स्थान पर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 14/7/25 को पेश हो।

14/7/25

पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपा. P.O. साहब दोगर कार्य में बस्थ है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12/8/25 को पेश हो।

12/8/2025

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप०। प्रा० पत्र टी० आई० पर बहस सुनी गयी। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं बहस वकूलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि पक्षकारान के हक-अधिकारों का निर्धारण मूल वादपत्र में गुणावगुण के आधार पर किया जाना है। अतः तादौराने फैसल वाद उभय पक्षकारान वादग्रस्त आराजी ख०नं० 1393, 1396 अवस्थित ग्राम सिरोही तहसील नीमकाथाना के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना